

हरियाणा सरकार

खाद्य तथा पूर्ति विभाग

आदेश

दिनांक 17 नवम्बर, 2006

संख्या का० आ० 109/ मो० स्पि० उ० वे० डी० (प्र० वि० वि० अ० नि०) आदेश/ 2005/ 2006.—मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीज़ल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के खण्ड 7 के उप खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा के सभी अधिकारियों को, जो जिला खाद्य तथा पूर्ति अधिकारी की पदवी से नीचे के न हों, उक्त उप खण्ड के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत करते हैं।

नरेश गुलाटी,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

खाद्य एवं पूर्ति विभाग।